

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला

राजभाषा विभाग

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल. बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ।

- भारतेंदु हरिश्चंद्र

भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता “मातृभाषा के प्रति ” से लिया गया यह दोहा हिंदी से संबंधित विभिन्न आंदोलनों और आयोजनों में अनगिनत बार प्रेरणास्रोत की तरह उद्धृत किया जाता रहा है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया गया था। यह हमारा राष्ट्रीय मत था कि बिना स्वदेशी और स्वभाषा के स्वराज सार्थक सिद्ध नहीं होगा। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं, विद्वानों, मनीषियों और महापुरुषों की भी यह अवधारणा थी कि कोई भी देश अपनी स्वाधीनता को अपनी भाषा के अभाव में मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता है। अतः देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए भी एक संपर्क भाषा का होना भी नितांत आवश्यक था। हिंदी भाषा की समग्रता, उसकी प्राचीनता और विशालता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यही नहीं यह भाषा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का भी पर्याय है। हिंदी सिर्फ एक संपर्क भाषा के रूप में ही नहीं अपितु अपने जीवन स्वरूप के लिए भी जानी जाती है और यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। आज हिंदी भाषा के प्रति लोगों का लगाव निरंतर बढ़ रहा है और पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है।

इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग व प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को इसके प्रचार-प्रसार का दायित्व सौंपा गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी कार्यालय में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है।

रेल भारत की जीवनधारा है। यात्रियों तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने के कार्य में जुटी रेल भारतीय परिवहन तंत्र में अहम् भूमिका निभाती है। वर्ष 1985 में पंजाब के कपूरथला जिले के हुसैनपुर स्टेशन के समीप रेल डिब्बा कारखाना की स्थापना की गई जो न केवल अपने देश बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सवारी डिब्बों का निर्माण कर भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना अहम् योगदान दे रहा है।

इस कारखाने में वर्ष 1994 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई जिसमें इस समय मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्य श्री एस.के.सिंह, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी देख रहे हैं। श्री विनोद कटोच, राजभाषा अधिकारी हैं जो सहायक सचिव(सामान्य) का कार्य भी देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त दो राजभाषा अधीक्षक, एक कार्यालय अधीक्षक तथा एक स्टेनोग्राफर हैं।

राजभाषा विभाग का मुख्य कार्य भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना तथा हिंदी अनुवाद कार्य आदि है। इसके अतिरिक्त यह विभाग समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से राजभाषा को

लोकप्रिय बनाने में प्रयासरत है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को साहित्यिक रूचि को प्रेरित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा एक वार्षिक राजभाषा पत्रिका “अरुणोदय” भी प्रकाशित की जाती है।

सरकारी काम-काज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए राजभाषा अधिकारी द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तथा विभागों में हो रहे सरकारी काम-काज का निरीक्षण भी किया जाता है। हिंदी में सर्वाधिक तथा उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानीय,रेलवे बोर्ड तथा गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कृत भी किया जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रूचि पैदा करने के लिए प्रशासनिक भवन, साहिबजादा अजीत सिंह, संस्थान तथा शहीद भगत सिंह संस्थान में 03 हिंदी पुस्तकालय भी खोले गए हैं। इसके अलावा लाला लाजपत राय अस्पताल, वैस्ट कालोनी क्लब, रेल सुरक्षा बल बैरेक तथा तिलक ब्रिज स्थित रेडिका के कार्यालय में खोले गए पुस्तकालयों के लिए भी हिंदी पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।